

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 1987

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 9 मार्च, 1987

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)1
पंजाब विधान सभा के माननीय अध्यक्ष का स्वागत	(9)17
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(9)17
कमेटी ऑन ऐस्टिमेट्स की 19वीं रिपोर्ट पेक्षा करना	(9)25
बिल्लजः—	
(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1987	(9)25
(ii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 1987	(9)27
(iii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 1987	(9)29

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 9 मार्च, 1987

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न संख्या 1279

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य चौधरी लीला कृष्ण, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Amount spent on N.R.E.P. and R.L.E.G.P.

***1276. Ch. Azmat Khan:** Will the Minister for Development and Panchyats be pleased to state the District-wise/Block wise total amount spent on the following two Schemes during the year 1986-87 (to-date) in the state:-

1. N.R.E.P. (National Rural Employment Programme)
2. R.L.E.G.P. (Rural Landless Employment Guarantee Programme)?

Development Minister (Col. Rao Ram Singh):

1 and 2: A statement showing the district wise/Block wise expenditure incurred during 1986-87 (Upto 31-1-1987) under the N.R.E.P./R.L.E.G.P. is laid on the Table of the House.

STATEMENT

DISTRICT-WISE/BLOCK-WISE EXPENDITURE DURING 1986-87 (UPTO 31-1-1987) UNDER NREP/RLEGP.

1. N.R.E.P. (National Rural Employment Programme)

Sr.	Name of District	Amt. spent during 1986-87 (upto 31-1-87) (Rs. in Lac)	Name of Block	Amt. spent during 1986-87 (upto 31-1-87) (Rs. in Lac)
1	Ambala	37.97	Ambala	2.64
			Barara	5.03
			Jagadhri	2.67
			Chhachhroli	3.15
			Bilaspur	2.92
			Naraingarh	2.84

			Raipur Rani	2.29
			Barwala	2.21
			Pinjore	1.18
			Total	24.93
			XEN (B&R)	3.54
			Divs. Forest Officer	9.50
			Total	37.97
2	Bhiwani	23.26	Bhiwani	2.34
			Tosham	3.23
			Bawani Khera	2.54
			Siwani	2.12
			Dadri-I	3.30
			Dadri-II	2.66
			Loharu	0.91
			Badhra	2.44
			Total	19.54
			Divs. Forest Officer	3.72

			Total	23.26
3	Faridabad	19.48	Faridabad	1.88
			Ballabgarh	4.31
			Palwal	4.49
			Hodel	3.15
			Hathin	3.18
			Total	17.01
			Divs. Forest Officer	2.47
			Total	19.48
4	Gurgaon	18.83	Gurgaon	2.36
			Sohna	3.16
			Pataudi	2.71
			Faruk Nagar	0.56
			Nuh	0.12
			Taoru	0.85
			Firozpur Jhirka	
			Punhana	2.08
			Nagina	2.58

			Total	14.42
			Divs. Forest Officer	4.41
			Total	18.83
5	Hissar	44.39	Hissar-I	4.55
			Hissar-II	3.38
			Hansi-I	3.33
			Hansi-II	3.71
			Narnaund	3.18
			Barwala	3.30
			Tohana	2.87
			Bhuna	3.22
			Fatehabad	3.41
			Ratia	2.31
			Adampur	3.02
			Total	36.28
			Divs. Forest Officer	8.11
			Total	44.39

6	Jind	26.97	Jind	4.15
			Julana	2.77
			Kalayath	2.85
			Narwana	2.76
			Pilukhera	2.90
			Rajaund	1.25
			Safidon	2.25
			Uchana	2.96
			Total	21.89
			Divs. Forest Officer	5.08
			Total	26.97
7	Karnal	36.55	Karnal	2.192
			Nilokheri	2.812
			Indri	3.442
			Nising	3.442
			Gharaunda	3.472
			Assandh	3.512
			Panipat	3.292

			Samalkha	3.362
			Madloda	2.792
			Isharana	2.782
			Total	31.100
			Divs. Forest Officer	5.450
			Total	36.550
8	Kurukshetra	28.17	Cheeka	2.23
			Thanesar	2.51
			Radaur	4.29
			Shahbad	3.13
			Ladwa	2.76
			Kaithal	3.13
			Pundri	2.59
			Pehowa	1.93
			Total	22.57
			Divs. Forest Officer	3.56
			XEN (NREP)	0.80

			XEN (Kaithal)	1.24
			Total	28.17
9	Mohindergarh	19.05	Narnaul	1.85
			Ateli Nangal	1.39
			Nangal Chaudhry	1.94
			Mohindergarh	1.37
			Kanina	1.66
			Rewari	1.80
			Khol	2.01
			Jatusana	1.80
			Bawal	1.45
			Total	15.27
			Divs. Forest Officer	3.78
			Total	19.05
10	Rohtak	32.95	Beri	3.44
			Bahadurgarh	3.24
			Jhajjar	2.83

			Kalanaur	3.10
			Lakhan Majra	2.19
			Meham	2.39
			Nahar	3.69
			Rohtak	2.62
			Sampla	2.47
			Sahlawas	3.11
			Total	29.08
			Divs. Forest Officer	3.87
			Total	32.95
11	Sirsa	21.87	Ellenabad	2.17
			Rania	3.05
			Baraguda	3.43
			Sirsa	4.82
			Dabwali	3.79
			Total	17.26
			Divs. Forest Officer with	4.36

			District Developmentt & Panchhayats Officers	0.25
			Total	21.87
12	Sonepat	22.28	Sonepat	2.86
			Rai	3.26
			Ganaur	2.86
			Kharkhauda	2.89
			Gohana	1.82
			Mundlana	2.32
			Kathura	2.63
			Total	18.64
			Divs. Forest Officer	3.64
			Total	22.28
			Grand Total Rs.	331.77 Lacs

**II. R.L.E.G.P. (Rural Landless Employment Guarantee
Programme)**

Sr.	Name of District	Amt. spent during 1986-87 (upto 31-1-87) (Rs. in Lac)	Name of Block	Amt. spent during 1986-87 (upto 31-1-87) (Rs. in Lac)
1	Ambala	38.66	Ambala	3.95
			Barara	5.89
			Jagadhri	4.37
			Chhachhroli	3.33
			Bilaspur	4.88
			Naraingarh	2.03
			Raipur Rani	1.69
			Barwala	2.85
			Pinjore	2.10
			Total	31.09
			XEN	2.08
			Divs. Forest Officer	5.49

			Total	38.66
2	Bhiwani	41.75	Bhiwani	3.79
			Tosham	6.66
			Bawani Khera	3.41
			Siwani	3.18
			Dadri-I	8.02
			Dadri-II	5.50
			Loharu	1.96
			Badhra	1.86
			Total	34.38
			Sub-Div. Officer (PR)	2.94
			Divs. Forest Officer	4.43
			Total	41.75
3	Faridabad	25.98	Faridabad	2.77
			Ballabgarh	2.96
			Palwal	4.41
			Hodel	3.40

			Hathin	4.34
			Total	17.88
			Divs. Forest Officer & Assistant Soil Conservation Officer	8.10
			Total	25.98
4	Gurgaon	41.41	Gurgaon	5.80
			Sohna	3.31
			Pataudi	2.01
			Faruk Nagar	5.16
			Nuh	2.66
			Taoru	3.79
			Firozpur Jhirka	2.09
			Punhana	6.30
			Nagina	6.29
			Total	37.41
			Divs. Forest Officer	4.000
			Total	41.41

5	Hissar	39.52	Hissar-I	3.30
			Hissar-II	2.17
			Hansi-I	3.72
			Hansi-II	3.80
			Narnaund	3.46
			Barwala	3.32
			Tohana	3.31
			Bhuna	2.55
			Fatehabad	4.00
			Ratia	2.95
			Adampur	2.38
			Total	34.96
			Divs. Forest Officer	4.56
			Total	39.52
6	Jind	30.10	Jind	4.86
			Julana	2.60
			Kalayath	2.86
			Narwana	3.00

			Pilukhera	2.88
			Rajaund	3.86
			Safidon	2.92
			Uchana	2.84
			Total	25.82
			Divs. Forest Officer	4.28
			Total	30.10
7	Karnal	34.26	Karnal	2.56
			Nilokheri	2.46
			Indri	3.18
			Nising	2.46
			Gharaunda	5.17
			Assandh	3.84
			Panipat	3.70
			Samalkha	3.60
			Madloda	2.50
			Isharana	2.46
			Total	31.93

			Divs. Forest Officer	2.33
			Total	34.26
8	Kurukshetra	23.66	Cheeka	2.41
			Thanesar	3.03
			Radaur	3.56
			Shahbad	2.90
			Ladwa	1.80
			Kaithal	3.08
			Pundri	2.18
			Pehowa	2.39
			Total	21.35
			Divs. Forest Officer	2.31
			Total	23.66
9	Mohindergarh	36.17	Narnaul	3.00
			Ateli Nangal	3.01
			Nangal Chaudhry	5.01
			Mohindergarh	2.80

			Kanina	3.18
			Rewari	4.29
			Khol	4.04
			Jatusana	3.49
			Bawal	2.96
			Total	31.78
			Divs. Forest Officer	4.39
			Total	36.17
10	Rohtak	35.10	Beri	2.37
			Bahadurgarh	2.34
			Jhajjar	2.32
			Kalanaur	2.39
			Lakhan Majra	3.27
			Meham	3.83
			Nahar	3.97
			Rohtak	3.55
			Sampla	3.53
			Sahlawas	3.97

			Total	31.54
			Divs. Forest Officer	3.56
			Total	35.10
11	Sirsa	24.14	Ellenabad	2.39
			Rania	4.38
			Baraguda	4.36
			Sirsa	3.48
			Dabwali	4.22
			Total	18.83
			Divs. Forest Officer with	3.45
			District Developmentt & Panchhayats Officers, Sirsa	1.86
			Total	24.14
12	Sonepat	27.62	Sonepat	3.35
			Rai	3.41
			Ganaur	3.75
			Kharkhauda	3.34

			Gohana	3.43
			Mundlana	3.72
			Kathura	3.83
			Total	24.83
			Divs. Forest Officer	2.79
			Total	27.62
			Grand Total Rs.	398.37 Lacs

चौधरी अजमत खां: अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने ब्लाक वाईज और डिस्ट्रिक्ट वाईज एन०आर०ई०पी० व आर०एल०ई०जी०पी० योजनाओं के अन्तर्गत जिलों में जो पैसा बांटा गया है उसकी स्टेटमेंट सदन क पटल पर रखी है। इस स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि गुड़गांव, फरीदाबाद और महेन्द्रगढ़ जिलों में दूसरे जिलों की निस्बत पैसा काफी खर्च किया गया है। हालांकि महेन्द्रगढ़ और मेवात का एरिया काफी बैकवर्ड है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐस पैसे की तक्सीम हर जिलों के लिए इकट्ठी की जाती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह आ वासन चाहता हूं कि इस तरह से स्टेट के पैसे को जब भी तक्सीम किया जाए तो सभी जिलों में बराबर-बराबर तक्सीम किया जाए और जिन इलाकों में ज्यादा जरूरत हो या सूखा पड़ा हो, जैसे कि हमारा मेवात का इलाका है, ऐसे इलाकों

को सरकार की ओर से ज्यादा मदद दी जानी चाहिए। ऐसा करने से लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर सर, एन0आर0ई0पी0 और आर0एल0ई0जी0पी0 स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है। एन0आर0ई0पी0 स्कीम के तहत केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत अपनी तरफ से देती है और 50 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होता है जबकि आर0एल0ई0जी0पी0 स्कीम के तहत केन्द्रीय सरकार 100 परसेंट पैसा खुद देती हैं। इस पैसे के वितरण के लिए केन्द्र सरकार ने गाईड लाईन्ज बना रखी हैं कि केन्द्र स्टेट को कैसे पैसा देगा और उसको स्टेट में किस तरह से तक्सीम किया जाएगा ? इसके लिए पावर्टी लाईन का क्राइटेरिया रखा गया है। इस बात का सर्वे किया गया है कि बिलो पावर्टी लाईन हर स्टेट में कितनी फ़ैमिलीज हैं। फिर हर स्टेट के हर जिला में कितनी फ़ैमिलीज बिलो पावर्टी लाईन हैं ? इस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए फन्डज की ऐलोकेशन की जाती है और इस पर रिट्रिक्टली सेंटर का कंट्रोल होता है। इसलिए बराबर अर्थमैटिकली डिस्ट्रीब्यूशन करना मुमकिन नहीं है।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि केन्द्रीय सरकार एन0आर0ई0पी0 स्कीम के तहत 50 परसेंट अपना भोयर स्टेट गवर्नमेंट को देती हैं और 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से डालती है। दूसरे

आर०एल०ई०जी०पी० के तहत केन्द्रीय सरकार 100 परसैंट पैसा खुद देती है। जब इस पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो आमतौर पर उन्हीं पंचायतों को पैसा जाता है जिनके पास आलरेडी पैसा ज्यादा होता है। जो पंचायतें 50 परसैंट पैसा खुद खर्च करेंगी उनको ही यह ग्रांट मिलती हैं। क्या सरकार के पास कोई ऐसी तजवीज है कि जिन पंचायतों के पास अपने कोई साधन नहीं हैं या जिनके पास 50 परसैंट अपना भोयर डालने के लिए नहीं हैं, उन पंचायतों को भी इस तरह सरकार की ओर से कोई मदद दी जाएगी ?

कर्मल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट्स को पैसा ऐलोकेट किया जाता है और उसके बाद हर जिले में डी०आर०डी०ए० फरदर पैसा ऐलोकेट करता है। सरकार की तरफ से डायरेक्ट पंचायतों को और बी०डी०ओज० को पैसा नहीं दिया जाता। जिलों में जो डी०सीज० हैं वे बी०डी०ओज० से उनकी रिक्वायरमेंट मांगते हैं। उसके बाद डी०आर०डी०ए० की मीटिंग होती है। इस मीटिंग के बाद ही सारे पैसे की ऐलोकेशन प्रोपरली की जाती है। इस मीटिंग को सभी मैम्बर साहेबान भी खुशी से अटैण्ड कर सकते हैं। इसमें बेंनीफिटरीज को अपना भोयर मिलाना पड़ता है, यह भी एक लाकूना है। उसकी वजह यह है कि सैन्टर ने जो ये दो प्रोग्राम्ज बनाए हैं, उनका मेन मक्सद एम्प्लायमेंट को जेनरेट करना है। बाद में सैन्टर ने एक और प्रोवाइजो रख दिया कि परमानेंट असेट्स क्रिएट होने चाहिए।

उदाहरण के तौर पर जोहड़ों को बनाना या उनकी खुदाई कराना परमानेंट असैट्स में नहीं आता क्योंकि इसमें थोड़ा मिसयूज होने लग गया था। कितनी मिट्टी पड़ी है या कितनी खोदी गई इसका सही पता लग नहीं पाता। इसलिए सैन्टर ने कहा कि परमानेंट असैट्स क्रिएट करो। हरिजन चौपालें बनाना, स्कूल बिल्डिंगज बनाना व पंचायत घर आदि बनाना परमानेंट असैट्स में आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो पैसा लगता है उसका 50 परसेन्ट मैटिरियल कम्पोनैन्ट और 50 परसेन्ट लेबर कम्पोनैन्ट पर खर्च होगा। अब ऐक्चुअली लेबर कम्पोनैन्ट पर तो लगता है 25 परसेन्ट और मैटिरियल कम्पोनैन्ट पर लगता है 75 परसेन्ट। तो वह काम नहीं बन रहा था। इसलिए स्टेट लैवल पर यह फैसला किया गया कि 25 परसेन्ट या 30 परसेन्ट बैनीफि एरिज भोयर डाला जाए जिसे मैटिरियल कम्पोनैन्टस में इस्तेमाल किया जाए। उससे ईंट, सीमेंट, लकड़ वगैरह खरीद ली जाए और लेबर कम्पोनैन्ट उतना ही है। सैनी साहब का यह कहना दुरुस्त है कि जो पंचायतें पैसा दे सकती हैं, अपना भोयर डाल सकती हैं, उनका काम तो ज्यादा होता है और जो बगैर पैसे वाली पंचायतें हैं, जो पैसा नहीं दे सकतीं, उनमें काम कम हो रहा है। इसके बाद यह फैसला किया गया कि जो और स्कीमज हैं, मसलन, डिसैन्ट्रलाईज्ड प्लैनिंग, ड्राऊट रिलीफ, हेल्थ स्टौमर्ज रिलीफ वगैरह जिनके तहत पैसे दिये जा रहे हैं उसको बैनीफि एरिज भोयर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और वह भी उन पंचायतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी सालाना इन्कम 5 हजार से कम हो।

इस प्रकार से वह बैनीफि ारी भोयर दे सकते हैं और इस प्रोग्राम के पैसे को उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री मोहन लाल पिपल: स्पीकर साहब, अभी मेरे भाई सैनी साहब ने कहा कि बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जो अपने हिस्से का बैनीफि ारी भोयर नहीं दे सकती जिससे वे सरकार की ग्रांट से वंचित रह जाती हैं। इस तरह की काफी पंचायतें जिला गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ और फरीदाबाद में हैं जिनके पास आमदनी के कोई खास साधन नहीं है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि ऐसी पंचायतों से, जिनके पास आमदनी के साधन कुछ नहीं हैं और जो अपना 50 परसेंट बैनीफि ारी भोयर भी नहीं दे सकतीं, क्या उन पंचायतों से यह भोयर मीन घटाकर 25 या 20 परसेंट करने की सरकार की कोई स्कीम विचाराधीन है ?

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, 50 परसेंट भोयर किसी भी बैनीफि ारीज को नहीं देना पड़ता। 25 परसेंट या किसी केस में ज्यादा 33 परसेंट देना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डी-सैन्ट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोग्राम के तहत जो पैसा मिले, वह बैनीफि ारीज भोयर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री नेकी राम: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बिलो पावर्टी के लोगों के बारे में जिक्र किया। क्या वे डिस्ट्रिक्ट वाईज बिलो पावर्टी फिगरज देने की कृपा करेंगे ? दूसरे, यहां पर

पंचायतों के बारे में भी जिक्र आया है। स्टेट के अन्दर बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जिनका काम पंचों या सरपंचों के ससपैन्ड होने के कारण रूक जाता है और केस काफी अर्से तक निपटाये नहीं जाते जिससे ग्राम के काम रूक जाते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, गांव के काम रूकने की कोई बात नहीं है। अगर सरपंच ससपैन्ड हो जाता है तो उसकी जल्द से जल्द इन्कवायरी करवा के उसका फैसला किया जाता है। अगर लम्बा केस हो तो वर्किंग सरपंच लगाया जा सकता है। मैम्बर साहब यदि किसी वि. शेष गांव का नाम बता दें जहां पर ऐसा हुआ हो तो हम उस गांव में वर्किंग सरपंच अप्वायंट कर देंगे। जहां तक पावर्टी लाईन से सम्बन्धित बात है, आनरेबल मैम्बर मेरे कमरे में आ जाएं, मैं उनको यह सूचना दे दूंगा। यह सवाल तो आर०एल०ई०जी०पी० व एन०आर०ई०पी० स्कीम्ज के तहत खर्च से ताल्लुक रखता है।

श्री सागर राम गुप्ता: स्पीकर साहब, अभी एक सप्लीमेंटरी सवाल का जवाब देते हुए मंत्री जी ने फरमाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्कीमों का पैसा जब स्टेटस को अलाट करती है तो उनके सामने कुछ क्राइटेरिया होता है, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट जिलों को यह पैसा बांटती है तो उसके सामने कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस तहर से स्टेट गवर्नमेंट अपनी डिस्ट्रिक्शन न रख कर क्या

कोई क्राइटेरिया बनाएगी ताकि सभी जिलों को उसके मुताबिक पैसा मिल सके ?

कर्मल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, मैंने अपने पहले जवाब में बताया है कि सैंटर और स्टेट दोनों ने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। सैंटर का क्राइटेरिया यह है:—

“50% weightage being given to the number of agricultural labourers, marginal workers and marginal farmers in the State and 50% weightage being given to the incidence of rural poverty in the State.”

The criteria being followed in the State is as under:-

“50% weightage to the number of agricultural labourers, marginal workers and marginal farmers in the district and 50% weightage for incidence of rural poverty is not available, 50% weightage will be given on the basis of the number of scheduled castes and scheduled tribes in the district.”

चौधरी अजमत खां: स्पीकर साहब, भायद मेरी समझ में नहीं आया इसके बारे में मैं माफी चाहूंगा। इन्होंने अभी कहा कि पावर्टी लाइन इस क्राइटेरिया में शामिल है और उसी हिसाब से सैंटर पैसा देता है। स्टेटमेंट को देखने से पता चलता है कि एन0आर0ई0पी0 स्कीम के तहत गुड़गांव जिले में इस साल 31-1-1987 तक 18 लाख रुपया, करनाल जिले में 36 लाख और हिसार जिले में 44 लाख रुपया खर्च किया गया है। इसका मतलब

यह हुआ कि गुड़गांव जिला ज्यादा मालदार है और वह पावर्टी लाइन से बहुत ऊपर है क्योंकि वहां कोई गरीब आदमी नहीं है। साथ साथ यह भी कहा गया है कि इस स्कीम के तहत 50 प्रति ान पैसा पंचायतें भी देती हैं और उसके हिसाब से ही यह पैसा उन पंचायतों के पास जाता है। यानी अगर कोई पंचायत 50 प्रति ात पैसा नहीं देगी तो उसको यह पैसा नहीं मिलेगा। मंत्री जी ने पावर्टी लाइन वाली जो बात बताई, उसका मतलब तो यह हुआ कि बिलो पावर्टी लाइन में तो हिसार आता है और दूसरे नम्बर पर करनाल आता है तथा सबसे मालदार जिला गुड़गांव है।

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, मैबर साहब ने यह पूछा था कि इन स्कीमों के तहत खर्चा कितना हुआ है लेकिन यह नहीं पूछा था कि ऐलोके ान कितनी हुई है ? ऐलोके ान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इनके इलाके में ऐलोके ान काफी हुई है लेकिन बी0डी0ओज0 के न होने की वजह से पैसा कुछ कम खर्च हुआ है। हमने वहां के डी0सी0 से पता करवाया था, उन्होंने यह बात हमें बताई है एन0आर0ई0पी0 के तहत नूह में 1 लाख 12 हजार रुपए और फिरोजपुर झिरका में 1 लाख 94 हजार रुपया ऐलोकेट हुआ था। इसमें से नूह में 12 हजार रुपया खर्चा हुआ और फिरोजपुर झिरका में कोई खर्चा नहीं हुआ। इसका कारण मैंने पहले बतायसा कि वहां पर बी0डी0ओ0 नहीं थे। यह बात जनवरी, 1987 से पहले की है। आर0एल0ई0जी0पी0 के तहत नूह में चार लाख रुपया ऐलोकेट किया गया और फिरोजपुर झिरका में

1 लाख 20 हजार रूपया ऐलोकेट किया गया। इसके अलावा स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट लैवल पर यह भी ध्यान रखा जाता है कि जब किसी जिले में और फंडज से ज्यादा ऐलोके ान की जाए तो उसका बैलेंस किया जाता है। अब मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड की स्कीम्ज के तहत 1986-87 में मेवात एरिया के नूह, तावडू, फिरोजपुर झिरका, नगीना और पुनहाना में 2 करोड़ 50 लाख रूपया ऐलोकेट किया गया जिसमें से वहां पर 1 जनवरी, 1987 तक 1 करोड़ 35 लाख रूपया खर्च किया जा चुका है। इसके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे की जबरदस्त ऐलोके ान की है, मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड के तहत भी और एन0आर0ई0पी0 तथा एल0आर0ई0जी0पी0 के तहत भी। सरकार ने तो पावर्टी लाइन के क्राइटेरिया को देख कर ही पूरा पैसा ऐलोकेट किया है। लेकिन खर्च करने में थोड़ी सुस्ती जरूर रही है, वह मैंने पहले ही बताया कि वहां पर बी0डी0ओ0 नहीं थे। जो पैसा वहां के लिए रखा है उसको हम जल्दी खर्च करेंगे। अब सब जगह बी0डी0ओ0 पोस्ट हो गए हैं इसलिए 31 मार्च, 1987 तक यह पैसा खर्च करने की हम को ि । । करेंगे।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1986-87 में आर0एल0इ0जी0पी0 स्कीम के तहत सेंटर से कितना पैसा मिला, उसमें से कितना पैसा इस्तेमाल हुआ और कितना लैप्स हुआ ?

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, 1986-87 में गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 456 लाख रूपए के 1 और 9320 मीट्रिक टन गेहूं जिसकी कीमत 140 लाख रूपए है, दिए। इसके अलावा, 1985-86 का बैलेंस एक करोड़ रूपया है। यह लैप्स नहीं होता बल्कि अगले साल में ऐड हो जाता है। इस प्रकार से 1986-87 की कुल ऐलोके 1 न 6 करोड़ 96 लाख रूपए की अवेलेबल थी। इसके तहत जो खर्चा हुआ वह 31 जनवरी, 1987 तक 412 लाख रूपए है। यह पैसा हमें इंस्टालमेंट्स में मिलता है। एक इंस्टालमेंट आने में डिले हो गई थी इसलिए बाकी का पैसा खर्च नहीं हो सका था इस स्कीम पर काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि बाकी का पैसा 31 मार्च, 1987 तक खर्च हो जाएगा।

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, एन0आर0ई0पी स्कीम के तहत जो रूपया आता है, उसको यह बी0डी0ओज0 को दे देते हैं। बी0डी0ओ0 आगे ठेकेदार को काम दे देता है। ठेकेदार बिहार और यू0पी0 से सस्ती लेबर लाकर काम कराते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ हरियाणा ही की लेबर लगाई जाएगी ताकि यहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सके ?

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, इनकी यह बात सही नहीं है। इस स्कीम के तहत लोकल लोगों को ऐम्प्लायमेंट देने का प्रोग्राम है। इन्होंने जो यू0पी0 और बिहार की लेबर की बात की है, ये इस बारे में फ़ैक्ट्स एंड फिगरज दें। अगर इनकी

बात ठीक हुई तो जो आदमी बाहर से लेबर मंगवाता है, मैं उसको उसी समय सस्पेंड कर दूंगा। ने नल रूरल ऐम्पलायमेंट प्रोग्राम स्कीम का मकसद यही है कि जो लैंडलैस लोग हैं, उनको हर साल कम से कम 100 दिन की ऐम्पलायमेंट गारन्टीड होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आनरेबलल मेंबर्ज से रिकवैस्ट करूंगा कि वे इस बारे में अपने अपने हल्के में ध्यान दें ताकि सही आदमियों की मदद हो सके।

चौधरी अजमत खां: अभी मंत्री जी ने अपना जवाब देते हुए गुड़गांव जिले को जो पैसा दिया गया है, उसकी डिटेल्स बताई है कि कौन-कौन से ब्लॉक को कितना-कितना पैसा दिया गया है। गुड़गांव जिले के नूह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना ब्लॉक के बारे में इन्होंने बताया है कि वहां पर इस साल के 10 महीनों में सिर्फ 10 लाख रुपये भी खर्च नहीं कर पाये और हिसार जिले के डी०सी० इन 10 महीनों में 44 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वहां के डी०सी० को या बी०डी०ओ० को इनन स्कीमों के तहत पूरा पैसा खर्च न करने के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है या सिकी के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया है? दूसरे, यह बात भी देखने वाली है कि मेवात बोर्ड को खर्च करने के लिए अभी तक इन 10 महीनों के दौरान बहुत कम पैसा दिया है। वहां पर अभी तक इस साल के दौरान 1 करोड़ 35 लाख रुपये खर्च हुए हैं। अब ये इस साल के समाप्त होने तक यानि इस महीने के अन्त तक 1 करोड़ 15 लाख रुपये

खर्च करेंगे। अब इनके पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आ गया है जिसके द्वारा ये साल समाप्त होने तक पूरा पैसा वहां पर खर्च कर देंगे। जो जवाब मंत्री जी ने दिया है उससे तो यही जाहिर होता है कि मेवात बोर्ड को जो पैसा दिया जाता है, वह दूसरी स्कीम में से यानि मेवात बोर्ड के अलावा बजट में जो पैसा वहां के लिए होता है, उसमें से काट कर दिया जाता है। सरकार ने मेवात बोर्ड को दूसरी स्कीमों से अलग पैसा इसलिए दे रखा है कि वह इलाका पिछड़ा हुआ है। यदि बजट की दूसरी स्कीमों में से पैसा काट कर मेवात बोर्ड को दिया जाता है तो फिर यह हमारे साथ मुंह काला करने वाली बात है। जो अढ़ाई करोड़ रुपये ये मेवात बोर्ड को साल के दे रहे हैं यह पैसा हमें बजट से अलग मिलता है। मैं चाहूंगा कि जो बजट के हिसाब से वहां के लिए पैसा ऐलोकेट होता है, वह हमें मिले और मेवात बोर्ड को जो पैसा मिलना होता है वह अलग से मिले। दूसरे मैं यह भी चाहूंगा कि पैसा इस हिसाब से बांटा जाना चाहिए ताकि वह सही ढंग से साल में खर्च हो सके।

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, अजमत खां जी कुछ ज्यादा सैन्टीमेंटस में आ गए हैं। किसी का मुंह काला करने वाली कोई बात नहीं है। सभी को नार्मज के मुताबिक पैसा बराबर बांटा जा रहा है। मेवात बोर्ड को पूरा पैसा दिया जा रहा है। मेवात बोर्ड को बजट में से पैसा काट कर नहीं दिया जाता। जो बजट में पैसा ऐलोकेट किया जाता है वह अलग से दिया जाता है

और मेवात बोर्ड को बजट के अलावा जो पैसा देना होता है वह अलग से दिया जा रहा है। गुड़गांव जिले के लिए इन दोनों स्कीमों में से कोई पैसा नहीं काटा गया और न ही इन स्कीमों का पैसा काट कर मेवात बोर्ड को दिया गया है। यह बात मैं पहले भी मान चुका हूँ और हाउस में ह चुका हूँ कि वहां पर पैसे को खर्च करने में देरी जरूर हुई है। अब हम वहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करेंगे। हमारी यह पूरी कोशिश होगी कि अगले वित्त वर्ष में पैसे का बंटवारा ठीक ढंग से हो सके। दूसरा इनका यह सही सुझाव है कि पैसे को हिसाब सिर ही खर्च किया जाये न कि आखिर के एक दो महीनों में ही सारे पैसे को माचिस लगा दी जाये। इसके लिए भी मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि पैसा सारा साल बराबर खर्च होता रहे।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, एन0आर0ई0पी0 की स्कीम के तहत हरिजन चौपालों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से 10 हजार रुपये दिए जाते हैं और बाकी पैसा गांवों की पंचायतों को अपनी तरफ से इकट्ठा करके देना होता है। सरकार भी इस बात को मानती है कि एक चौपाल बनाने पर 40 हजार रुपये के आसपास खर्च होता है। कई पंचायतें हरिजन चौपालों के लिए पैसे का कन्ट्रीब्यूशन नहीं करती जिसके कारण काफी चौपालें अधूरी पड़ी हुई हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता

हूँ कि कया वे कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो हरिजन चौपालें इन-कम्पलीट पड़ी हुई हैं, उनको कम्पलीट करवाया जा सके।

कर्नल राव राम सिंह: स्पीकर साहब, इन दोनों स्कीमों के तहत ऐसे काम के लिए 10 प्रति आत पैसा रिजर्वड है ताकि बैनिफिट सीधा रि आड्यूल्ड कास्टस को मिले। सैनी साहब ने यह बात कही कि कुछ गांवों की पंचायतें हरिजनों की चौपालें बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करती। इस बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि अभी मुख्य मंत्री महोदय ने इस काम के लिए 84 लाख या एक करोड़ रूपये रखे हैं ताकि हरिजनों की अधूरी पड़ी हुई चौपालें पूरी हो सकें और नई चौपालें बनाई जा सकें।

श्री भले राम: मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 1986-87 के दौरान इन दोनों स्कीमों के तहत कितने लोगों को रोजगार मिला और वर्ष 1987-88 के दौरान कितने लोगों को रोजगार देने का टारगैट है?

कर्नल राव राम सिंह: अध्यक्ष महोदय, एन0 आर0 ई0 पी0 स्कीम के तहत वर्ष 1986-87 में 15 लाख मैन-डेज फिक्स किए गए थे। इनमें से 31-1-87 तक 10 लाख मैन-डेज पूरे हो चुके हैं। इन 10 लाख मैन-डेज में से रि आड्यूल्ड कास्टस को 5 लाख 62 हजार मैन-डेज दिए गए हैं तथा बाकी मैन-डेज दूसरे लोगों को दिये गये हैं। इसी प्रकार से आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 स्कीम के तहत भारत सरकार ने 14 लाख मैन-डेज फिक्स किए

थे। इनमें से हम 31-1-87 तक 11 लाख 35 हजार मैन-डेज पूरे कर पाये हैं। इन 11 लाख 35 हजार में से 6 लाख 51 हजार मैन-डेज डिप्लॉयड कास्टस को दिए गए हैं और बाकी बचे हुए मैन-डेज दूसरे लोगों को दिए गए हैं।

पंजाब विधान सभा के माननीय अध्यक्ष का स्वागत

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि आज पंजाब विधान सभा के माननीय अध्यक्ष, सरदार सुरजीत सिंह मिन्हास, सदन को वी0 आई0 पी0 गैलरी में विराजमान हैं। मैं लीडर आफ दी हाउस व सदन के मैम्बरान की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सदन की कार्यवाही आकर देखने का जो उन्होंने कष्ट किया है, उसके लिए मैं एक बार फिर उनका हार्दिक स्वागत तथा धन्यवाद करता हूँ।

ताराकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनराम्भ)

श्री अध्यक्ष: चौधरी लीला कृष्ण।

चौधरी लीला कृष्ण: स्पीकर साहब, मैं किसी कारणवश 11 समय पर हाउस में नहीं पहुँच सका था। मेरा एक और सवाल नं० 1279 आज की लिस्ट में नं० 1 पर लगा हुआ था। मैं

आप से गुजारि ा करता हूं कि मुझे अपने उस सवाल को पूछने को इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष: पहले प्रैजेंट सवाल कली और दूसरे सवालों की रिप्लार्ड हो जाने दे। उस सवाल को अन्त में टेक अप कर लेंगे।

चौधरी लीला कृ ण: पहले प्रैजेंट सवाल की आरैर दूसरे सवालों की रिप्लार्ड हो जाने दे। उस सवाल को अन्त में टेक अप कर लेंगे।

चौधरी लीला कृ ण: अच्छा जी।

Construction of side channels of Fatehabad Distributory

***1280. Chaudhri Lila Krishan:** Willl the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that following villages of Fatehabad constituency are facing water logging problem-

- (i) Gorakhpur;
- (ii) Kajalheri;
- (iii) Mohammadpur Rohi;
- (iv) Boropol;
- (v) Dhrnia;
- (vi) Bighar; and

(vii) Salamkhera;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct side channels on both sides of Fatehabad Distributory/Branch; if so, the time by which the same are likely to be constructed;

(c) whether any scheme has been formulated to pump out flood water of village Kajalheri in Fatehabad Constituency; and

(d) if the reply to part (c) above be in affirmative, whether the said Scheme is likely to be implemented/completed before the next rainy season?

Irrigation and Power Minister (Chauhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes Sir.

(b) Yes Sir. A scheme in this behalf is under investigation.

(c) Yes Sir.

(d) Effortes will be made to complete the scheme before the next rainy season.

चौधरी लीला कृ ण: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरे सवाल का जवाब हां में दिया है। मैंने अपने सवाल के वी पार्ट में यह पूछा था “whether there is any proposal under consideration of the

Distributory/Branch,if so; the time by which the same are likely to be constructed.”

इन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में एक स्कीम उंडर इनवैस्टीगे ान हैं। मैंने सिम्पल सा सवाल किया था कि क्या स्कीम बन चुकी हैं और क्या उसे कंसीडर कर रहे हैं या नहीं? स्पीकर साहब, फतेहाबाद ब्रांच के इर्द गिर्द जो 7-8 गांव हैं, वे नर्क का जीवन बिता रहे हैं। वहां पर बहुत वाटर लॉगिंग और सेम हैं जिसके कारण उन गांवों की सब गलियों खत्म हो चुकी हैं। लोगों को कीचड़ में से गुजर कर जाना पड़ता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस इनवैस्टिगो ान कर रहे हैं और क्या प्रोपीजल अंडर कंसीड्रे ान आफ गवर्नमेंट हैं?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवालाल: स्पीकर साहब, गोरखपुर, काजलहेड़ी, मोहम्मदपुर रोही, बड़ौपल, धरनिया, बीघड़ सालम खेड़ा आदि गांव फतेहाबाद ब्रांच के साथ लगते हैं। इन गांवों के लिये उपाय किये हैं। ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने बड़ौपल गांव के लिए लिंक ड्रेन बनाई हुई है जिसमें दो पम्प हाउस लगे हुए हैं, उनका पानी फतेहाबाद ब्रांच में गिरता है। यह ड्रेन एक साल से काम कर रही है। पिछले बारि ा के मौसम में इस ड्रेन ने बहुत अच्छा काम किया था। इससे बड़ौपल गांव के लोगों को काफी रिलीफ ला है। मोहम्मदपुर रोही गांव के लिए पक्की ड्रेन सन् 1986 में कमी ान की गई थी वहां पर दो पम्प हाउस आलरेडी काम कर रहे हैं। उस पानी को पम्प करके मोहम्मदपुर

रोही डिस्ट्रीब्यूटरी में डाला जाता है। इससे गांव वालों को पूरा रिलीफ हुआ है। दूसरे इसके साथ वाले गांव की जमीन बचाने के लिए छावला मोरी लिंक ड्रेन बनायी गई है। इस पानी को पम्प आउट करके फतेहबाद ब्रांच में डाला जाता है। बीघड़ और सालम खेड़ा गांव की जमीन बचाने के लिये छावला मोरी लिंक ड्रेन बनायी गई है। इस पानी को पम्प आउट करके फतेहाबाद ब्रांच में डाला जाता है। बीघड़ और सालम खेड़ा गांव के पानी को निकालने के लिए एक और प्रोजैक्ट बन रही है। काजलहेड़ी और मोहम्मदपुर रोही गांवों के लिए लिंक ड्रेन बनाने की प्रोपोजल है जिसका 4८27 लाख रूपया गवर्नमेंट ने सैव इन कर दिया है। इससे भी फ्लड में रिलीफ मिलेगा। इसी प्रकार एक सीपेज ड्रेन बनाने की 20 क्यूसिक कैपेंसिटी के पम्प हाउस बनायेंगे ताकि उस पानी को निकाला जा सके। एक कम्प्रीहेंसिव डिच ड्रेन बनाने की भी स्कीम है जो अन्डर कन्सीड्रे इन है। अलग गांवो के लिए कुछ न कुछ उपाय किये जा रहे हैं।

श्री नेकी राम जी: स्पीकर साहब, गांव बडौपल और कई अन्य गांवों में मकानों की दीवारें 6-7 फुट ऊंचे तक खराब हो चुकी हैं और गलियां बैठ गई हैं। इन गांवो के मकानों को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

चौधरी भाम ार सिंह सूरजेवाला: किसी गांव का पानी फ्लड के पानी से बेकि ा हो जाता है क्योंकि उसका वाटर टेबल बहुत ऊंचा आ जाता है। इसलिए फ्लड इफैक्टिड आबादी के

मकानों की कंडी इन चेंज हो जाती हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यह ड्रेन पिछले साल बनायी हैं। उसने काम करना भारू कर दिया हैं। जैसे-जैसे ड्रेन फंक इन करेगी वैसी-वैसी टेबल नीचे जायेगा। वाटर टेबल नीचे जायेगा तो जमीन भी ठीक हो जायेगी।

चौधरी लीला कृ णः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी म कूर हूं कि उन्होंनें काफी प्रबन्ध किया हैं लेकिन इरीगे इन डिपार्टमेंट पम्पों से पानी निकालने का इन्तजाम उस वक्त करता हैं जब सेम बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कई गावों में पम्पिंग सैटस का टैम्परेरी अरेंजमेंट हैं। क्या मंत्री महोदय वहां पर परमानेंट पम्पिंगासैअस लगाने की कृपा करेंगे?

चौधीर भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर, जब कभी पहली बार किसी ऐरिया में फ्लड आता हैं तो उसी वक्त पम्पिंग सैटस का प्रबन्ध करते हैं। टैम्परेरी और परमानेंट में कोई फर्क नहीं करते हैं। परमानेंट पम्पिंग सैट आलरेडी इन्स्टाल होता हैं और टैम्परेरी को ट्रांसफर करना पड़ता हैं। इस केस में या तो पम्पिंग सैटस लग चुके हैं या लगाये जा रहे हैं।

Employees working in Haryana State Co-operative Mini Bank Societies

***1283 Chaudhri Azmat Khan:** Will the Minister of state for Cooperation be pleased to state the district wise number of salesmen/Clerks.Salesmen-cum-Clerks/Chowkidars

working in Haryana State Co-operative Mini Bank Societies in the State at present together with category-wise details regarding qualifications prescribed and gross total emoluments payable for each category of posts?

विवरण "क"

क्रम संख्या	नाम जिला	मिनी बैंको में 19-2-1987 को कार्यरत सेल्जमैनों की संख्या	मिनी बैंको में 19-2-1987 को कार्यरत लिपिकों की संख्या	मिनी बैंको में 19-2-1987 को कार्यरत सेल्जमैना-कम-लिपिको की संख्या	मिनी बैंको में 19-2-1987 को कार्यरत चौकीदारों की संख्या
1	अम्बाला	178	68	6	168
2	भिवानी	20	4	6	28
3	फरीदाबाद	66			46
4	गुडगावा	70	19	19	84
5	हिसार	205	11	15	180
6	जींद	109	26	76	
7	करनाल	69	79	45	183
8	कुरुक्षेत्र	180	163		95

9	महेन्द्रगढ़	85	2	9	42
10	रोहतक	80	5	12	23
11	सिरसा	117	10	6	127
12	सोनीपत	104	1		77

विवरण "ख"

क्र० सं०	पद की श्रेणी	निर्धारित योग्यता, यदि कोई हैं	कुल देय राशि
1	सेल्जमैन	मैट्रिक	संघटित वेतन 300 / -रु प्रतिमाह
2	लिपिक	मैट्रिक	संघटित वेतन 300 / -रु प्रतिमाह
3	सेल्जमैन-कम-लिपिक	मैट्रिक	संघटित वेतन 300 / -रु प्रतिमाह
4	चौकीदार	मिडली से कम	संघटित वेतन 200 / -रु प्रतिमाह

नोट

इसके अतिरिक्त रसायनिक खाद की नकद ब्रिकी पर 2/- रू प्रति मीट्रिक टन की दर से तथा जिन्स ब्रिकि (चैक के विरुद्ध) 1/-रू प्रति मीट्रिक टन की दर से कमी इन तथा उपभोक्ता की वस्तुओं (सिवाये चीनी और रा इन की वस्तुं जो नियन्त्रित कीमत पर बेची जाती हैं) की ब्रिकी पर 1 प्रति टन की दर से कमी इन भी उन कर्मचारियों को जो उक्त वस्तुओं की खरीद, ब्रिकी तथा स्टार्किंग से सम्बन्धित स्वीकार्य हैं।

2. यह कमी इन सम्बन्धित लिपिक , सेज्जमैन तथा तोलने वाले में बराबरी के आधार पर देय होता है।

3. जहां कहीं उक्त पद नहीं हैं वहां वर्तमान पद या पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को कमी इन देय होता है।

4. समति के सचिव को किसी प्रकार का कमी इन देय नहीं है क्योंकि वह केन्द्रीय सहकारी बैंक के नियमित वेतनमान पर हैं।

चौधरी अजमत खां: स्पीकर साहब, मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि कितने ऐसे क्लर्क, सेज्जमैन, सेज्जमैन-कम-क्लर्क और चौकीदार हैं जो मिनी बैंक व सोसाइटीज में काम करते हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि इनकी तादाद 2869 है। सेज्ज-मैन

और क्लर्क को तीन सौ रूपये देते हैं और दो सौ रूपये चौकीदार को देते हैं। सेल्जमैन और क्लर्क की क्वालिफिके इन मैट्रिक रखी हुई हैं, उसे तन्खाह 300 रूपये देते हैं। चौकीदार कको दो सौ रूपये देते हैं और क्वालिफिके इन मिडल और नान-मैट्रिक रखी हुई हैं। आज के जमाने में यह बहुत कम तन्खाह है। इन लोगों को या तो रैगुलर करें या कम से कम 300 रूपये कंसोलिडेटिड दिये जायें ताकि ये अपना गुजरा कर सकें। सरकार की ओर से मजदूर के भी मिनिमम डेली वेजिज 15 रूपये 73 पैसे हैं। ये तो मैट्रिक पास हैं इनको कम से कम मिनिमम डेली वेजिज वाली पे तो दी जाये। ये ओवर एज हो गये हैं। क्या सरकार उन्हें मिनिमम डेलीवेजिज के हिसाब से तन्खाह देने की कृपा करेंगी?

श्री प्यारा सिंह: ये न तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के आदमी हैं और न ही बैंकों के हैं। इन लोगों को सोसाइटी लगाती है और वही तन्खाह मुकर्रर करती है। इन लोगों को खाद और दूसरी चीजों के बेचने पर कमी इन मिलता है। ये लोग कमी इन से पैसा कमाते हैं।

चौधरी अजमत खां: कमी इन में भी सोसाइटी का पैसा उनको दिया जाता है। और सोसाइटी ही उस पैसे को बरदा त करती है। आमतौर पर सोसाइटी की इतनी सेल नहीं होती कि वह कमी इन दे सके। सोसाइटी मुनाफे से तन्खाह देती है। जहां तीन सौ रूपये देते हैं वहां पांच सौ भी दे सकते हैं। कम से कम 15 रूपये 73 पैसे मिनिमम वेजिज के हिसाब से तो इन्हें दिये जाने

चाहिए। क्या सरकार मिनिमम वेजिज के हिसाब से उन को पे देगी।

श्री प्यारा सिंह: अभी मैंने बताया है कि ये सरकार के मुलाजिम नहीं हैं और न ही बैंकों के हैं। इन्हें सोसाइटी लगाती हैं। दूसरे इन लोगों को कमी इन मिलता है। खाद नकद बेचने पर दो रूपये प्रति मीट्रिक टन की दर से और चैक के अगेन्सट बेचने पर एक रूपया प्रति मीट्रिक टन की दर से कमी इन मिलता है। नियन्त्रित कीमत पर जो वस्तुएं बेची जाती हैं उन को छोड़कर चाय चीनी आदि अन्य जो भी चीजें बिकती हैं उन पर भी उनको कमी इन मिलता है।

चौधरी लीला कृ ण: स्पीकर साहब, कई सेल्जमैन छः छः साल से लगे हुए हैं, कश्या उन्हें पक्का करने की कोई प्रोपोजल सरकार के विचारधीन है? मिनिमम वेजिज ऐक्ट के तहत इतनी कम तन्खाह हरियाणा सरकार के किसी भी एम्पलाई को नहीं मिलती है। क्या सरकार उनकी तन्खाह को बढ़ायेंगी?

श्री प्यारा सिंह: ये सोसाइटी के नौकर हैं, इन्हें कमी इन मिलता है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, जो नौन ऐग्रीकल्चरिस्ट मिनी बैंकों से लोन लेते हैं, उनसे 15 परसेन्ट ब्याज चार्ज किया जाता है क्या मंत्री जी बताएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है?

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, इस सवाल का इससे सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इन्डस्ट्रीज के लिए अगर कोई लोन लेता है तो उससे 15 परसेन्ट ब्याज चार्ज किया जाता है।

गृह मंत्री (चौधरी तैयब हुसैन): स्पीकर साहब, पोजिशन यह है कि 15 परसेन्ट इन्ट्रैस्ट इन्डस्ट्री का लोन लेने वाले से चार्ज किया जाता है चाहे वह हरिजन है चाहे गैर-हरिजन है, सब के लिए एक जैसा ब्याज है, लेकिन जो इन्डस्ट्री के लिए लोने नहीं लेते उनसे 11 परसेन्ट ब्याज ही लेते हैं चाहे वह हरिजन है चाहे कोई और है।

श्री अध्यक्ष: अब सवाल नम्बर 1279 जो चौधरी लीला कृष्ण का है, टेक अप किया जायेगा। वह उस समय नहीं आये थे इसलिए यह पूछा नहीं गया था। अब इस क्वेश्चन को मैं अलाउ करता हूँ।

Extension of new Bhangar Minor

***1279. Chaudhri Lila Krishan:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to extend the New Bhangar Minor upto Matana and Bhodia Khera Revenue estates?

Irrigation & Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Reference perhaps is to Dhangar Minor.

There is no proposal under consideration for extendign the said minor to Matana and Bhodia Khera revenue estates.

चौधरी लीला कृ णः स्पीकर सर, फतेहाबाद ब्रांच की धांगर माईनर को ऐक्सटेंड करने की प्रोपोजल के बारे में मेरा सवाल था। अगर यह प्रोपोजल मान ली जाती तो इससे कई हजार एकड़ जमीन सैराब हो सकती हैं। मेरे ख्याल में मंत्री जी को इस बारे में सही नहीं बताया गया है। प्रोपोजल तो हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर पुनः विचार करें ताकि इस प्रोपोजल को ढुढवा कर इम्पलीमेंट करवा दें। दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो ऐग्जिस्टिंग धांगर माईनर हैं, वह इतनी बुरी हालत में हैं कि उस पर सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। वहां पर रेगिस्तान टाईप एरिया है। वह माईनर कस्सी से चल रही है। जिसकी मर्जी हो, अपनी तरफ चला लेता है वहा पर मोघों का कोई अरेंजमेंट भी नहीं है। न ही कोईबारी बगैरा चलती है। जिसकी मर्जी होती है, यह पानी ले लेता है। फिर जब आधिया आती है, तो वह माईनर खत्म हो जाती है, क्या मंत्री जीइस सारी बात को इन्वैस्टी गेट करेंगे।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: सर, यह जो धांगर माईनर है, यह 12-6-1986 को सैव ान हुई थी। मेरे ख्याल में यह अभी बनी ही है और भायद पहली बार ही चली होगी। अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि जब कोई माईनरी बनती है तो उस एरिया की चकबन्दी होती है और बाराबन्दी होती है। पहले

चकबन्दी होती हैं। हमें आभार से ही ऐसा होता है चाहे कोई भी नई माईनर या नहर हो। हो सकता है उसकी चकबन्दी और बाराबन्दी न हुई हो। जब बाराबन्दी हो जायेगी तो यह कन्प्यूजन दूर हो सकता है। इस पर सरकार की कोई पाबन्दी नहीं है। फिर भी सरकार इसको ऐक्सपीडाईट करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात इन्होंने यह कही कि धांगर माईनर की एक्सटेंशन जरूर होनी चाहिये। मैंने पीछे का सारा रिकार्ड दिखाया है। जिस एरिया में यह माईनर की एक्सटेंशन जरूर होनी चाहिये। मैंने पीछे का सारा रिकार्ड दिखाया है। जिस एरिया में यह माईनर को ऐक्सटेंड करवाना चाहते हैं वहां पर एन0एस0 एल0 (Natural Surface Level) ज्यादा है। जिस एरिया में यह धांगर माईनर जाती है, उस एरिया का एन0 एस0 एल0 कमांड में शामिल करवाना चाहते हैं, उसका एन0 एस0 एल0 697.30 से लेकर 720 फुट तक का है। मैंने खुद नक्शे भी देखे हैं और इस सवाल का जवाब देने कि अगर इस माईनर को ऐक्सटेंड भी कर दिया जाए तो भी जमींदारों को पानी नहीं पहुंच सकता। गवर्नमेंट ने इसके लिये आल्टरनेटिव इंटरजाम कर दिया है। इस एरिया के सैपरेट लिफ्ट आउटलैट जो तकरीबन 484 एकड़ एरिया के लिये हैं, वह बीगड डिस्ट्रीब्यूट्री से निकलेगी। यह आलरेडी 8-1-1987 को हमने सैव इन कर दी है। इस तरह से हमने पर्मानेंट तौर पर समस्या सौल्व करने के लिये लिफ्ट का आउटलैट इस एरिया के लिये मंजूर कर दिया है ताकि इस एरिया की जरूरत पूरी हो सकी।

चौधरी लीला कृ णः स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से एक दरखास्त करना चाहूंगा कि जो नयी धांगर माईनर की टेल बनाई गयी है, उससे एक बुर्जी पीछे से या दो बुर्जी पीछे से उसके लैवल को उठाया जा सकता है, क्या इस पर विचार करने की कृपा करेंगे?

चौधरी भाम ार सिंह सुरजेवाला: सर, यह जो तजवीज देते हैं यह तो तभी डिस्कस की जा सकती है जब हमारे समाने नक् ा हो और अधिकारी भी हों। यह कोई बतायें तो हम क्यों नहीं करेंगे। सरकार का काम तो लोगों को सहूलियतें देना है। जब भी यह कहेंगे, हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे।

Mr. Speaker: Hon. Members, questions are over.

कमेटी औन ऐस्टिमेटस की 19वीं रिपोर्ट पे ा करना

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी औन ऐस्टिमेटस के चेयरमैन राव विजय वीर सिंह ऐस्टिमेटस कमेटी की 19वीं रिपोर्ट पे ा करेंगे।

Rao Vijai Vir Singh(Chaudhri Katar Singh Chhokar): Sir, I introduce the Haryana Appropriation (No.2) Bill, 1987.

Sir, I also move-

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

That the Haryana Appropriation (No.2) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर कलाज—बाई—कलाज विचार करेगा।

कलाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कलाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भाड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि भाङ्गूल बिल का भाङ्गूल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैकिटग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि अनैकिटग फार्मूला बिल का अनैकिटग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री जी मूव करेंगे कि बिल पास किया

जाये ।

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar):
Sir, I move-

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे 1 हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (न0 3) बिल, 1987

श्री अध्यक्ष: अब फाईनैस मिनिस्टर हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 3) बिल, 1987 को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसे कंसिडर करने के लिये मो ान मूव करेंगे।

Finance Minister (Chaudhri Katar Simngh Chhokar): Sir, I introduce the Haryana Appropriation (No.3) Bill, 1987.

Sir, I also move-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे 1 हुआ:-

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

That the Haryana Appropriation (No.3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर कलाज बाई कलाज विचार करेगा।

कलाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि कलाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कलाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि कलाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भाड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि भाङ्गुल बिल का भाङ्गुल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैकिटग फार्मुला

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि अनैकिटग फार्मुला बिल का अनैकिटग फार्मुला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री जी मूव करेंगे कि बिल पास किया

जाए ।

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar): Sir, I move:-

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे 1 हुआ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1987

श्री अध्यक्ष: अब फाईनैस मिनिस्टर, हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1987 को इंट्रोड्यूस करेंगे और इसे कंसीडर करने का मो ान मूव करेंगे।

Finance Minister (Ch. Katar Singh Chhokar): Sir, I introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1987.

Sir, I also move:-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे 1 हुआ:—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

श्री भले राम (बड़ौदा, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, यह जो ऐप्रोप्रिएशन (नं० 1) बिल, 1987 सदन में पेश किया गया है, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले ऐजूकेशन के बारे में कुछ भाव्य कहना चाहूँगा। यह ठीक है कि हरियाणा सरकार ऐजूकेशन की तरफ बहुत ध्यान दे रही है और अगले आने वाले कुछ सालों में काफी स्कूल अपग्रेड सरकार कर देगी। लेकिन इसके बावजूद हमारा जो सिस्टम आफ ऐग्जामिनेशन है, उसमें कुछ कमी है जिसके कारण बहुत ज्यादा नकल ऐग्जामिनेशन में होती है। मैं भी ऐजूकेशन बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ और उस वक्त हमने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि नकल न हो लेकिन फिर भी काफी नकल होती थी। इसका कारण यह है कि अध्यापकों की ऐसी मैन्टैलिटी बन गई है। सरकार के इस तरह के रूलज भी हैं कि अगर उनका रिजल्ट ठीक नहीं आयेगा तो उनकी इन्क्रिमेंट रोक दी जाएगी। इस रूल की आड़ में वे नकल कराते हैं, पेपरों के दौरान बोर्ड पर सब कुछ लिख देते हैं और लड़के वहाँ से नकल कर लेते हैं। जब मैं चेयरमैन था तो फरीदाबाद का एक ऐसा केस हमोर नोटिस में आया था। वहाँ पर चार सौ लड़कियों ने एक साथ नकल की थी और उनके आनसर एक ही थे। इस बुराई को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि यह भारत हटा देना चाहिए कि जिस अध्यापक का रिजल्ट खराब हो, उसकी इन्क्रिमेंट रोक दी जाएगी। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर पेपरों में कम-से-कम नकल हो पाएगी यह

तजुर्बा करने में कोई हर्ज नहीं। जब यह कंडी उन नहीं थी तो अच्छा था और नकल भी नहीं होती थी।

स्पीकर साहब, पहले जो प्राइवेट लड़के-लड़कियां आठवीं या दसवीं का इम्तिहान देते थे तो उनके फोटो लगाए जाते थे ताकि कोई दूसरा बच्चा उनकी जगह इम्तिहान में न बैठ जाए। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों की फोटो नहीं लगती थी। इस साल बोर्ड ने फैसला किया है कि जो रैगुलर लड़के लड़कियां गवर्नमेंट स्कूलों के इम्तिहान में बैठेंगे उनको भी फोटो लगाने पड़ेंगे। इस साल चार लाख के करीब बच्चे इम्तिहान देंगे। अगर एक फोटो आठ रूपए में खींचा जाए तो बच्चों के बत्तीस लाख रूपए खर्च हो गए जोकि एक वेस्टेज है। होना यह चाहिए कि जो रैगुलर बच्चे हैं उनकी तसदीक उस स्कूल का हैडमास्टर कर दे या रैगुलर स्टाफ उन बच्चों की पहचान कर दे जिससे कि बच्चे मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस तजवीज पर गौर करे।

मेरी तीसरी बात ऐक्साइज से सम्बन्धित है। सरकार की नीति है कि प्रोहीडि उन हमारे दे आ में हो और इसके लिए नियम भी बनाया हुआ है कि अगर कोई पंचायत यह लिखकर दे दे कि उनके गांव में भाराब का ठेका नहीं होना चाहिए तो वहां पर ठेका नहीं खोला जाएगा। स्पीकर साहब, कई गांवों की पंचायतों को पता नहीं होता कि इस तरह का रैजोल्यू उन कब भेजना होता है ? मेरे हल्के के एक गांव रिढाना की भी यही पोजी उन है। उनको पता नहीं था कि कब रैजोल्यू उन देना पड़ता है ? उनको देर हो

गई वे लोग मेरे पास आए। मैं उनको लेकर चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बात सुनी और कहा कि वे उनकी पंचायत दूर करेंगे। वे लोग अपने गांव में भाराब का ठेका नहीं चाहते थे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पंचायत का रैजोल्यूशन, चाहे कभी भी आ जाए उस पर गौर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं होना चाहिए कि दिसम्बर या जनवरी में ही रैजोल्यूशन आए। होना यह चाहिए कि अगर बोली के टाइम पर भी ग्राम पंचायत का रैजोल्यूशन आ जाए, तब भी वहां पर ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, गांव के भोले भाले लोग होते हैं उनको ठीक पोजिशन का पता नहीं होता। इसलिए मेरी ऐक्साइज एंड टैक्स मिनिस्टर से प्रार्थना है कि जिन गांवों की पंचायतों का रैजोल्यूशन बोली के मौके पर आ जाए कि उस गांव में ठेका नहीं खुलना चाहिए तो उसको भी कंसिडर किया जाए।

स्पीकर साहब, सरकार ने हर गांव में पीने के पानी की सुविधा देने का फैसला किया है और इस काम के लिए काफी पैसा रखा है। स्पीकर साहब, वाटर सप्लाई स्कीम पर काफी जगहों पर काम चल रहा है लेकिन कई जगहों से पंचायत आती है कि वहां पर गैटीरियल नहीं है इसलिए काम रुका हुआ है। अभी परसों मैं गोहाना गया था। वहां पर धनाना, बगाना और बिचपड़ी में वाटर सप्लाई की स्कीम पर काम चल रहा है। गांव वाले कहने लगे कि काम बन्द पड़ा है। मैं एस0डी0ओ0 से मिला। वे कहने लगे कि हमारे पास सीमेंट खत्म हो गयी है और सीमेंट

न मिलने के कारण काम रुका हुआ है। स्पीकर साहब, सीमेंट तो इरिगे 1न, पी0डब्ल्यू0डी0 और दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास भी होता है। वाटर सप्लाई स्कीम वाले सीमेंट या दूसरा मैटीरियल उनसे उधार ले सकते हैं और बाद में उनको वापिस कर दिया जाए। यह नहीं होना चाहिए कि मैटीरियल के न होने की वजह से काम बन्द ही कर दिया जाये।

स्पीकर साहब, अब मैं बिजली के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह ठीक है कि बिजली की कमी है और इसका कारण यह है कि ए डिविजन में बहुत ज्यादा कनेक्ट इंज हो गए हैं। स्पीकर साहब, कनेक्ट इंज इतने ज्यादा होने के बावजूद एस0डी0ओ0 एक ही है। मिसाल के तौर पर हमारे गोहाना में पच्चीस हजार कनेक्ट इंज हैं लेकिन एस0डी0ओ0 एक ही है। हालांकि कायदे के हिसाब से पांच हजार कनेक्ट इंज पर एक एस0डी0ओ0 होना चाहिए। मैं सुरजेवाला जी से प्रार्थना करूंगा कि जो नॉर्मर्ज हैं उनके हिसाब से एस0डी0ओ0 लगाये जाने चाहिए अगर नॉर्मर्ज को तोड़ा जाएगा तो काम ठीक नहीं होगा। नॉर्मर्ज के मुताबिक ही एस0डी0ओ0 मुकर्रर करना चाहिए। स्पीकर साहब, इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क आपने मुझे बोलने का समय दिया। यह हमारा लास्ट सै 1न है। अगर कोई गलती हुई तो मैं सभी सदस्यों से माफी चाहूंगा।

श्री अमर चन्द मक्कड़ (हांसी): स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने जो बिल सदन के सामने रखा है, मैं इस पर बोलना चाहता

हूँ और इसका समर्थन करता हूँ। स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब जब हांसी गए थे तो इन्होंने वहां पर एक कालेज मन्जूर किया था। उस इलाके के लिए एक कालेज की बिल्डिंग की मांग थी क्योंकि हांसी तहसील में कोई कालेज की बिल्डिंग नहीं थी। वहां पर कालेज की बिल्डिंग देकर लोगों का मुख्य मंत्री जी ने बहुत भला किया है। इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवादी हूँ। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उस कालेज के काम को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। स्पीकर साहब, हांसी तहसील में जितने कालेज के पढ़ने वाले लड़के हैं, वे खुले आसमान के नीचे बैठकर तालीम हासिल करते हैं। स्पीकर साहब, इसी तरह से हांसी सीनियर सैकिन्डरी स्कूल है उसकी भी बिल्डिंग नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि दोनों बिल्डिंगज को बनाया जाए।

स्पीकर साहब, गांवों में एन0आर0ई0पी0 की स्कीमज चल रही है। जिन गांवों में स्कूलों की बिल्डिंगज नहीं है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वहां पर इस स्कीम के अन्डर स्कूल की बिल्डिंगज बनाई जानी चाहिए। मेरे यहां ढानी राजू, मदन हेड़ी और खड़खड़ा तीन चार गांव हैं जहां पर स्कूल की बिल्डिंग नहीं है और वहां की पंचायत के पास पैसा भी नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर स्कूल की बिल्डिंग बना दें ताकि तालीम का विस्तार हो सके और गांव के जो बच्चे तालीम से वंचित रह जाते हैं, उनको तालीम मिल सके। इसी तरह से स्पीकर साहब, आज

लड़कियों की तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने अधिक से अधिक गांव के बच्चे तालीम हासिल करेंगे उतना ही हमारे देश का भला होगा। स्पीकर साहब, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि लड़कियों के स्कूल खोलने की मांग जहां से भी आए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर गांवों के अन्दर स्कूल खोले जाएं ताकि लड़कियां अपने ही घर पर तालीम हासिल कर सकें क्योंकि गांव के बच्चे बाहर जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते और खासकर लड़कियां तो बहार जाकर बिल्कुल ही तालीम प्राप्त नहीं कर सकती।

स्पीकर साहब, यहां पर बिजली की बात चल रही है। हमारी सरकार बिजली के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी हमारे प्रान्त में बिजली की काफी कमी है। इसका कारण यह है कि बिजली की मांग बहुत ज्यादा है और साधन कम हैं। इस बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे मंत्री जी ने विचार वास दिलाया है कि बिजली की कमी जल्दी पूरी की जाएगी। सरकार ने ट्यबवैल्ज के कनेक्शन देने का टारगैट भी बढ़ा दिया है।

15.00 बजे

स्पीकर साहब, एक रिपोर्ट कायत आम पब्लिक में चलती है कि किसानों को जो बिजली के बिल जाते हैं, वह बहुत बढ़ा चढ़ा कर, किसानों को केवल परेशान करने के लिए भेजे जाते हैं। जब

कोई पंचायत की जाती हैं तो उस पर कोई गौर नहीं किया जाता। बिल बनाने के काम से जो सम्बन्धित कर्मचारी हैं वे मौके पर जाकर रीडिंग नहीं करते और दफ्तर में बैठे बिठाय एक महीने की रीडिंग को आधार बना कर सारे साल की ऐवरेज लगाकर इतना अधिक बिल इकट्ठा ही भेज देते हैं जिसको किसान देने को क्षमता में नहीं होता। इस तरह की परेशानी से किसान बहुत दुखी है। मैं मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि इस ओर खास ध्यान दिया जाए और दूसरे तीसरे महीने में सही रीडिंग करके किसानों को साथ-साथ बिल भिजवाने का प्रबन्ध किया जाए ताकि किसानों को ज्यादा राशि एकदम न देनी पड़े और वे आराम से अपने बिजली के बिलों की अदायगी कर सकें।

स्पीकर साहब, चौधरी भले राम जी ने बोलते हुए कहा और भायद यह फैसला भी हुआ था कि जो पंचायतें समय पर इस तरह का प्रस्ताव भेज देंगी कि उनके गांव में भाराब के ठेके न खोले जाएं तो वहां ठेका नहीं खोला जाना चाहिए लेकिन सारा काम इस के विरुद्ध हो रहा है। मेरे हल्के में एक गांव बटोल हैं। वहां की पंचायत ने बिल्कुल टाईम पर प्रस्ताव पास करके भेजा, अधिकारियों के सम्मुख पेशियां भी हुईं और डैपुटेयन के रूप में भी उस गांव के लोग मिले लेकिन फिर भी इन सबके बावजूद उनके गांव में ठेके की बोली हुई। उस गांव में ठेका खुलने से आसपास के तीनों गांव सरकार की नीति से नाराज हैं। मैं इस बारे में रिकवैस्ट करूंगा कि जितना हम इस चीज को कम कर

सकें उतना करें ताकि लोगों के दिलों में सरकार के प्रति जो गलत धारणा बन रही है, वह दूर हो सके। आता है कि मिनिस्टर साहब इस बारे में अवगत ध्यान देंगे। जिन गांवों ने इस तरह का रैजोल्यूशन दिया है, अगर उन में भाराब के ठेके की बोली हो भी गई है तो भी उसको कैंसिल किया जाना चाहिए ताकि लोगों में इस तरह की आशा बंधे कि सरकार भी भाराबबन्दी के सिलसिले में लोगों के साथ सहानुभूति रखती है।

स्पीकर साहब, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में भी डिमांडज रखी गई है। गांव के अन्दर जितनी हरिजनों की बस्तियां हैं, गलियां हैं उनकी स्थिति सुधारने के लिए जितना पैसा सरकार ने रख है वह काफी है। यह एक बड़ा ही सरहानीय कदम सरकार ने उठाया है कि गांव-गांव में हरिजनों तथा बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिए चौपालें बन रही हैं। वे लोग चाहते हैं कि वे भी दूसरे वर्गों की तरह विवाह भाादी, खुशी-गम के समय इकट्ठे होने के लिए चौपालें हों। सरकार ने इस काम के लिए जो धन राशि दी है, हम इसके लिए सरकार के धन्यवादी हैं। इसके साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पैसा और लगाकर हरिजन बस्तियों में जो कच्ची गलियां हैं, उनको भी पक्का करवाया जाए और इसके लिए और धनराशि मुहैया करवायी जाए। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कुछेक चौपालें अभी भी अधूरी पड़ी हैं जिनके बारे में लोगों ने लिखकर भेजा हुआ है, उनको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए।

इससे अगला प्वायंट मेरा पीने के पानी से सम्बन्धित है। यह सही है कि गांव गांव में पीने के पानी की स्कीमज चल रही हैं लेकिन मेरे हल्के में उमरा गांव है। वहां के लिए वाटर सप्लाई की स्कीम काफी पुरानी बनी हुई थी। उसी के तहत सुलतानपुर व आस पास के गांव के लोगों को पानी मिलता है यह स्कीम उस समय आबादी को मद्देनजर रखते हुए ही बनायी गयी थी लेकिन अब वहां की आबादी काफी बढ़ चुकी है और पानी की कैपेसिटी घट गई है। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि सुलतानपुर गांव में अलग से स्कीम बनायी जाए। इसी तरह से गढ़ी पैदा दो गांवों की स्कीमज हैं। इनको भी पानी पूरा नहीं मिल पा रहा है। उनको भी पानी मुहैया करने के लिए स्कीम मन्जूर की जाए। इसी तरह से बटोल खरखरा गांवों में भी पानी की काफी दिक्कत है। सरकार इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करे। इनके लिए अलग से एक स्कीम बनायी जानी चाहिए ताक लोगों को पीने का पानी सुविधा से मिल सके। स्पीकर साहब, यहां पर नीचे का पानी काफी खारा है, पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। जब कभी मिनिस्टर साहब इस इलाके में गये हैं, उनके सामने यह स्कीम रखी गयी हैं लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इन गांवों को वाटर वर्कस की स्कीमज बनाकर सरकार की ओर से दी जानी चाहिए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया किया जा सके। लेकिन अभी तक उन लोगों की पानी की समस्या की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामन करना पड़ रहा है। अतः मेरी सरकार से

प्रार्थना है कि इस पानी के मसले की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

इससे आगे मैं गांव के अन्दर सीवरेज सिस्टम लागू करने के बारे में भी कहना चाहूंगा। गांवों के रहने वाले लोगों को सीवरेज स्कीम न होने के कारण बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गांवों के अन्दर सीवरेज सिस्टम को जल्दी ही लागू किया जाए ताकि गांवों के लोग भी भाहरी लोगों की तरह सहूलियतें प्राप्त कर सकें और आनन्द का जीवन व्यतीत कर सकें। वे अपने घरों में ही इस तरह का प्रबन्ध करवा कर ऐसी मुश्किलों से बच सकते हैं। जो लोग पीने के पानी का कनेक्शन अपने घरों में लेना चाहते हैं उनको इनके घरों तक कनेक्शन दिये जाएं। यह समस्या तभी हल हो सकती है जबकि गांव की गलियाँ और मुहल्लों में पानी की पाईपस बिछाई जाएंगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को इस तरह की हर सहूलियतें मुहैया की जानी चाहिए। गांवों के लोगों को सरकार की ओर से ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलनी चाहिए। इसके लिए रूपये का प्रावधान सरकार को भीघ्न करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा रखे गए इस ऐप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हुआ आपका धन्यवाद करूंगा और सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस को पास किया जाए।

चौधरी धर्मबीर गाबा (गुड़गांव): स्पीकर साहब, यह जो ऐप्रोप्रिएशन बिल हाउस में जेरेगौर है, मैं इसका समर्थन करने के

लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पब्लिक हैल्थ रोडज व कुछ अर्बन डिवैल्पमेंट क बारे में बोलना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की ओर से पब्लिक हैल्थ के लिए लगभग 39 करोड़ रुपया रखा गया है और इसके अन्तर्गत वाटर सप्लाई स्कीमज की देख रेख का काम किया जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है। स्पीकर साहब, इसके साथ मैं बड़े फख के साथ कह सकता हूं कि मेरी कांस्टिचुएंसी में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां वाटर वर्कस की स्कीम ने हो लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। जैसे क्लस्टर सिस्टम है यह चल नहीं सकता। चार चार गांवों को एक ही सप्लाई से पानी दिया जाता है जिससे पानी का लैवल बहुत नीचा चला जाता है। वहां पर पानी 16 हजार गैलन से केवल 4 हजार गैलन तक आ गया है। इसलिए मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारि 1 है कि इस क्लस्टर सिस्टम को खत्म किया जाए और हरेक गांव में इंडीविजुअल ट्यूबवैल्ज दिये जाएं ताकि लोगों के पीने के पानी की दिक्कत को हमे 11 के लिए दूर किया जा सके। इसके साथ साथ स्टैण्ड पोस्ट के बारे में यह कहूंगा कि जब गांव के अन्दर स्टैण्ड पोस्ट दी गयी थीं तो उस वक्त आबादी को ध्यान में रखा गया था। आज दिन-ब-दिन आबादी बढ़ती ही जा रही है लेकिन स्टैण्ड पोस्ट की संख्या नहीं बढ़ायी गयी है। इसलिए मेरी गुजारि 1 है कि पानी की समस्या को हल करने के लिए स्टैण्ड पोस्ट की संख्या भी बढ़ायी जाए ताकि पानी की तकलीफ को दूर किया जा सके।

इसके साथ साथ पब्लिक हैल्थ के बारे कहूंगा कि आज ऐनवायरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार ने इसके लिए 90 लाख रूपये की राशि रखी है और केन्द्र सरकार से भी धन उपलब्ध होता है। आज आप देखें कि किस तरीके से पानी और हवा, जोकि कुदरत की दो महान नियामतें हैं, में पोल्यूशन हो रहा है जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है और लोग घातक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस बारे में सरकार की ओर से स्टर्न ऐक्टिव होना चाहिए तभी जाकर यह पोल्यूशन का मसला हल होगा। आज इंडस्ट्रीज किस तरह से वाटर और हवा में पोल्यूशन कर रही है। सर, आप भी इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि नहरों का जितना पानी लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मिलता है, वह बहुत गन्दा होता है जिससे डैपथेरिया वगैरह की घातक बीमारियां फैल रही हैं अगर इसी तरह का हाल रहा तो वह समय दूर नहीं, जब आदमी पानी मुंह को लगाते ही मर जाएगा। इसलिए इस बात की आज सख्त आवश्यकता है कि सरकार इस ओर सख्त से सख्त कदम उठाये।

दूसरी बात मैं रोडज के बारे में कहना चाहता हूँ। आज हरियाणा का सिर कई बातों की वजह से फख से ऊंचा है। आप रोडज से सम्बधित फिगरज देख लें। आल इंडियसा की ऐवरेज 100 किलोमीटर रोड में केवल 47 है जबकि हरियाणा की ऐवरेज 55 हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब ये रोडज रेज करते हैं तो यह नहीं सोचते कि इनके साथ रैम्पस भी आवश्यक हैं मेरी

कांस्टीचुएन्सी में दो गांव चन्दू और वडेरा ऐसे हैं जहां की रोडज जमीन लेवल से चार-पांच फुट ऊंची कर दी गयी हैं लेकिन वहां पर रैम्प नहीं दिये गये। जब इसके लिए हम वहां के एस0ई0 साहब से मिले कि साहब यह आपका काम है क्योंकि आपने रोडज रेज की हैं, आप इन्हें ठीक कर दें तो उन्होंने कहा कि रिसपौन्सीबिलिटी हमारी नहीं है। मैं नहीं समझता कि रैम्प को बनायेगा ? आखिर आप ही सोचें कि यह जिम्मेवारी सिक पर डाली जाए कि अगर ये रैम्प बनाए तो कौन बनाए और किन सार्सिज से बनाए जाएं ? इस बारे में मेरी दरखास्त है कि मुलाना साहब मेरे हल्के के चन्दू और वडेरा गांवों में विजिट करें ताकि उनको वहां के लोगों की डिफीकल्टी का पता चल सके। स्पीकर साहब, आज गुडगांव नै नल कैपिटल रीजन के अन्दर आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यह कोर्ण्डर है कि जो एरिया एन0सी0आर0 में आता है, उसकी डिवैल्पमेंट की जाए। लेकिन मेरे हल्के में एक बजगेडा गांव हैं, उसकी सवा किलोमीटर की एक सड़क पिछले पांच सालों से नहीं बन रही है। मेरी गुजारि है कि इस साल उस सड़क को जयर बना दिया जाए ताकि हमें इस बात का गिला न रहे कि हम अपनी टर्म में वह सड़क न बनवा सके।

इसके बाद मैं अर्बन डिवैल्पमेंट की बात कहना चाहता हूं। मैं पहले भी चार पांच बार सदन में कह चुका हूं कि जो अर्बन डिवैल्पमेंट गुडगांव के अन्दर हुई हैं, उतनी भाायद ही हरियाणा के किसी हिस्से के अन्दर हुई हो। लेकिन मुझे अफसोस यह है कि

वहां एक तरफ तो डिवैल्पमेंट है और दूसरी तरफ लोगों की डिफिकल्टी को बुरी तरह से नजर अन्दाज किया जाता है। आपको सुन कर हैरानी होगी कि गुड़गांव के अन्दर सैक्टर 14 और 17 हैं। उसका जो सीवरेज का निकास है, वह एक मन्दिर में डाल दिया गया है। यह धर्म के खिलाफ है। वहां माता का मेला लगता है लेकिन आज तक उसका कोई हल नहीं सोचा गया है मेरी दरखास्त है कि इसका कोई न कोई इन्तजाम किया जाए। हुड्डा ने 1970 में लोगों की जो जमीन ऐक्वायर की थी, उसका आज तक उनको पैसा नहीं मिला है। जिन लोगों की जमीन ली गई थी उनमें से कुछ मर भी चुके हैं जब मरे हुए आदमी का बेटा या बेटी पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो उनको सक्सै इन स्टर्ीफिकेट लाने के लिए कहा जाता है। इतनी देर लगाई जा रही है कि सक्सै इन स्टर्ीफिकेट लेता लेता कहीं वह खुद भी न मर जाए। आज अगर कोई परसैंटेज दे देता है उसको तो फौरन पैसा मिला जाता है वरना दूसरे लोग मारे-मारे फिरते हैं। मंत्री जी से मेरी दरखास्त है कि इस गलत प्रथा को बन्द किया जाए। पिछली बार भी मैंने एक क्वै चन किया था कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मंत्री जी ने कहा था मैंने एक क्वै चन किया था कि आप पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो मंत्री जी ने कहा था कि हमने प्लाट होल्डर्ज को एनहांसमेंट के नोटिस दे दिए हैं जब उनसे पैसा मिल जाएगा तो पेमेंट कर दी जाएगी। मुझे अफसोस है कि आज तक लोगों को पैसा नहीं मिला है। मैं मंत्री जी से रिकवैस्ट करूंगा कि लोगों को जल्द पैसा दिलाया जाए। हुड्डा ने कालोनिज को

डिवैल्प करने के बाद पीने के पानी का कोई इन्तजाम नहीं किया है। गुडगांव में सैक्टर 4 और 7 में पानी नहीं है। लोग पानी के लिए चीख रहे हैं। वहां पर पाइपस डाल दिए गए हैं लेकिन मकानों के अन्दर पानी नहीं है। पता नहीं हुआ कौन सी नींद सो रहा है। मेरी दरखास्त है कि कम से कम जायज बात की तरफ जरूर ध्यान दिया जाए।

मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ यह महकमा तो चौधरी तैयब हुसैन जी का है। हमने जितना पैसा होम डिपार्टमेंट के लिए रखा है, उसमें से 3 करोड़ 41 लाख रूपया जेलों के लिए है। गुडगांव की जेल भाहर में आ गई है और वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस जेल की जमीन वहां की कमेटी को ट्रांसफर कर दी जाए और आपने जयपुर-पलवल रोड पर, जो 18 एकड़ जमीन ऐक्वायर कर रखी है, वहां पर जेल बना दें। वहां पर मॉडर्न टाइप की जेल बन सकती हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अच्छी जतवीज पर जरूर गौर करेगी। होम डिपार्टमेंट की हम इतीन तारीफ करते हैं जिसका कोई अन्दाजा नहीं है। हमारी पुलिस जैसी पुलिस सारे हिन्दुस्तान में नहीं होगी लेकिन क्या मंत्री जी ने कभी यह भी सोचा है कि इन लोगों को भी कुछ सुविधाएं चाहिए? सरकार ने पुलिस की नफरी बढ़ाने के लिए भी इस बजट में कोई पैसा नहीं रखा। मेरी कांस्टीच्युएँसी में सदन थाना गुडगांव है जिसके अन्दर 98 गांव आते हैं। उस थाने में केवल 12 सिपाही है। मेरी गुजारि है कि इनकी नफरी बढ़ाई

जाए और इनके रहने के लिए क्वार्टर बनाए जाएं ताकि ये लोग इन्सानों की तरह रह सकें। इनके लिए कोई कालोनी बनाई जाए ताकि वे जगह जगह पर धक्के खाते न फिरे। यह हमारा फर्ज है कि हम उनकी जायज मांगों की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि क्लोज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्र न है:—

कि क्लोज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भाड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि भाड्यूल बिल का भाड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैकिंटग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि अनैकिंटग फार्मूला बिल का अनैकिंटग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्र न हैं—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री जी मूव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): सर, मैं मूव करता हूँ:-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे 1 हुआ:-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है:-

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

15.19 बजे

(तत्प चात् सदन मंगलवार, दिनांक 10-3-1987 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)